निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 690) पटना, बुधवार, 24 जुलाई 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2024

सं० वि०स०वि०–18/2024–**2760**/वि०स० ।— ''बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 23 जुलाई, 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024

[वि०स०वि०-15/2024]

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 का संशोधन करने के लिए एक विधेयक।

भारत–गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप से यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–**

(1) यह अधिनियम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–11 में संशोधन।**

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–11 की उपधारा (2) (प) के बाद निम्नवत् समावेशित किया जायेगा :–

11 (2) (फ) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षाएँ ऑनलाईन पद्धति से भी ली जा सकेगी।

11 (2) (ब) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित सभी तरह की परीक्षाओं में आधुनिक तकनीक/सूचना एवं प्रावैधिकी/कम्प्यूटराइजेशन इत्यादि का प्रयोग किया जा सकेगा।

3. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–19 में संशोधन।**

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–19 की उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

19 (1) इस अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत गठित संबद्धता कमिटि की अनुशंसा पर किसी गैर सरकारी संस्थान या ट्रस्ट/सोसाईटी द्वारा स्थापित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा अन्य संस्थानों की संबद्धता/स्वीकृत करने या वापस लेने की शक्ति समिति को होगी।

परन्तु इंटरमीडिएट (+2) स्तर की शिक्षा देने वाली संस्थाएँ बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1992 की धारा–41 के अधीन स्थापित या स्थापना के लिए मान्यता प्राप्त अथवा अनुज्ञाप्त संस्थाएँ उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए बोर्ड से संबद्ध समझी जाएगी।

(ii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–19 की उपधारा (3) के उपरांत उपधारा (4) निम्नवत समावेशित किया जायेगा :–

19 (4)(क) माध्यमिक/+2 उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा देने वाली कोई भी नई संस्था, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता की इच्छा रखता है, तब तक संचालित नहीं होगी, जब तक विहित प्रक्रिया के तहत संस्थान को प्रदत्त की जाने वाली संबद्धता का समिति से अनुमोदन प्राप्त न हो जाय।

19 (4)(ख) किसी गैर–सरकारी संस्थानों अथवा किसी ट्रस्ट/सोसाईटी द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (+2 स्तर) के विद्यालय की स्थापना की जानी हो, तो उस संस्थान को समिति द्वारा सम्बद्धता हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में निरीक्षण शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क के साथ भुगतान पश्चात मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क अप्रत्यार्पणीय होगी, परन्तु पाँच वर्ष की अवधि के अन्दर यदि सम्बद्धता हेतु संस्थान द्वारा पुनः आवेदन किया जाता है, तो सिर्फ निरीक्षण शुल्क देय होगा, सम्बद्धता शुल्क देय नहीं होगा।

4. **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–20 में संशोधन।**

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–20 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(1) समिति द्वारा, सम्बद्धता समिति का गठन किया जाएगा, जिसे गैर–सरकारी संस्थाओं या ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा स्थापित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा अन्य संस्थानों जिनके लिए परीक्षा आयोजित करनी होती है, की सम्बद्धता स्वीकृत करने या वापस लेने हेतु अनुशंसा करेगी।

(ii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–20 की उपधारा (4) के बाद उपधारा (5) निम्नवत् समावेशित किया जायेगा :–

(5) (i) गैर सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्थानों, जो समिति से सम्बद्ध होंगे, का संचालन शासी निकाय एवं प्रबंध समिति द्वारा की जायेगी।

(ii) संस्थान के घोषित दानदाता, समिति द्वारा चक्रानुक्रम में शासी निकाय एवं प्रबंध समिति के अध्यक्ष नामित किये जायेगें, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कोई एक दानदाता अधिकतम दो कार्यकाल (छः वर्ष) तक अध्यक्ष रह सकेंगे।

(iii) दानदाता की घोषणा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता विनियमावली के आधार पर समिति द्वारा किया जायेगा। समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(iv) किसी गैर सरकारी अनुदानित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (+2 स्तर) संस्थान में कोई दानदाता नहीं रहने की स्थिति में सम्बद्धता विनियमावली में वर्णित प्रावधान के आलोक में शासी निकाय एवं प्रबंध समिति के गठन की कार्यवाही समिति द्वारा की जायेगी।

(v) निबंधित ट्रस्ट के द्वारा संचालित गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों का एवं प्रबंधन समिति ट्रस्ट के प्रावधान के अनुसार होगा।

5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–23 में संशोधन।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–23 में निम्नवत् (ढ़) के बाद समावेशित किया जायेगा :–

(ण) परीक्षा परिसर/वज्रगृह/छात्रावास/विद्यालय सुदृढ़ीकरण के कार्य में समिति द्वारा व्यय किया जा सकेगा।

(त) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए आवासीय एवं गैर–आवासीय अनुशिक्षण की व्यवस्था पर समिति द्वारा व्यय किया जा सकेगा।

6. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–24 में संशोधन।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–24 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

24. समिति के लेखाओं का अंकेक्षण– राज्य सरकार से प्राप्त निधि/अनुदान का अंकेक्षण किया जा सकेगा।

7. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–30 में संशोधन।

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा–30 की उप धारा (i) एवं (ii) में निम्नांकित शब्दावली सन्निविष्ट किया जाएगाः–

(i) उच्च माध्यमिक, माध्यमिक के उपरान्त 'अन्य विविध परीक्षाएँ'

(ii) उपधारा (iii) एवं (iv) में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के उपरान्त 'अन्य विविध परीक्षाएँ'

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक स्वशासी वैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संचालित करना एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में गुणात्मक विकास करना है, और

चूँकि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय शिक्षा तथा परीक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, और

चूँकि, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 को लागू हुए लगभग 5 वर्ष पूर्ण हो चूके है। डिजीटल पद्धति में परिवर्तन, सूचना एवं तकनीक के विकास एवं विस्तारीकरण से परीक्षाओं के दौरान गोपनीयता बनाये रखने की चुनौतियों का सामना करना है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अब किसी भी डिग्री महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। अतएव वर्तमान में लागू अधिनियम में समिति द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को ऑनलाईन विधि से संचालित करने, परीक्षाओं में आधुनिक तकनीक/सूचना एवं प्रावैधिकी/कम्प्यूटराईजेशन का प्रयोग करने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध संस्थानों की संबद्धता स्वीकृति से संबंधित प्रावधानों का संशोधन करना आव''यक एवं समीचीन है,

इसलिए, अब, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 में संशोधन करना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एवं अभिष्ट है।

(सुनील कुमार)
भार–साधक सदस्य।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना
दिनांक–23.07.2024

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 690-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in